

**छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग**  
**निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़**  
**शंकर नगर, रायपुर**

**अपील प्रकरण क्रमांक 1035/2008**  
**अपीलार्थी**

1. श्री श्रीनिवास पाल,  
पुराना बाजार, पोस्ट-पंखाजूर,  
जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)

-

विरुद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/सचिव,  
ग्राम पंचायत-सुलंगी, विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा,  
जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)

-

प्रति अपीलार्थी

// आदेश //  
(दिनांक 23 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 20.03.2008 को जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत-सुलंगी, जिला-कांकेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयवधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.05.2008 के बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 10.10.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था, अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव को पाँच हजार रुपये शास्ति का कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया और निर्देश दिये गये थे कि संबंधित जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण एक सप्ताह में कराया जावे और उसके बाद उनसे सूची लेकर राशि 50/- रुपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे और अधिक की चाहने पर शुल्क जमा कराकर दी जावे। किन्तु अपीलार्थी ने बताया कि न तो उन्हें आयोग के निर्देशानुसार निरीक्षण कराया गया और न ही जानकारी दी गई। इससे प्रतीत होता है कि सचिव/जन सूचना अधिकारी का सूचना का अधिकार एवं उसके आवेदनों के प्रति काफी लापरवाही एवं गैर-जिम्मेदारी भरा रवैया है, यहाँ तक कि उन्होंने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र की परवाह नहीं की और उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी। अतः विलंब के लिए सचिव/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत-सुलंगी, जिला-कांकेर को दोषी पाया जाता है और उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत पाँच हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि आयोग के पूर्व निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करें कि संबंधित रिकार्ड का अपीलार्थी को एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और चाही गई जानकारी अधिक विस्तृत होने के कारण उनसे लेकर राशि 50/- रुपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे और अधिक की चाहने पर शुल्क लेकर दी जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 250/- रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

**(ए०के० विजयवर्गीय)**  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त